न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.–प्रथम, सुलतानपुर

उपस्थितः– पी.एन. त्रिपाठी, (एच.जे.एस.)

<u>दाण्डिक अपील संख्या–02/2018</u>

जितेन्द्र कुमार झा, सुत राम चन्द्र प्रिय शरण (अवयस्क) संरक्षक बड़ा भाई धीरेन्द्र कुमार झा, साकिन–रसकुन्ती वाली कुन्ज मोचन घाट, निकट जानकी बार भवन अयोध्या, थाना–अयोध्या, जिला–फैजाबाद ।
हालपता–ई टी–4/6 बी एच ई एल टाउन शिप औद्यौगिक क्षेत्र जगदीशपुर कठौरा, थाना– कमरौली, जिला–अमेठी ।

————————————————————अपीलार्थी ।

बनाम

1– उ0प्र0राज्य द्वारा जिला मजिस्ट्रेट,सुलतानपुर/अमेठी ।

————————————————————अभियोगी।

<u>निर्णय</u>

1– यह दाण्डिक अपील मुकदमा अपराध संख्या–66/2016, राज्य बनाम जितेन्द्र झा, थाना–कमरौली, जिला–अमेठी, के प्रकरण में किशोर न्याय परिषद द्वारा पारित आदेश दिनांकित–04–01–2018 से व्यथित होकर योजित की गयी है ।

2– हस्तगत अपील की उत्पत्ति निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन हुयी :– पीड़िता/वादिनी, पुत्री श्री ओकार सिंह, निवासी–बी 29 बी0एच0ई0एल0 उपनगरी औ0क्षे0 जगदीशपुर, थाना–कमरौली, जिला–अमेठी ने दिनांक–2–2–16 को इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की कि जितेन्द्र कुमार, पुत्र–राम चन्द्र प्रिय सरवन, मूल निवासी श्री रसकुन्ती वाली कुन्ज मोचनघाट, निकट–जानकीबार भवन अयोध्या, जिला–फैजाबाद,बी0एच0ई0एल0 कालोनी के कमरा नं0 4 ईटी हास्टल में अपने बड़े भाई श्री धीरेन्द्र कुमार झा के साथ रहता है । दिनांक–21 अप्रैल 2015 से मेरे भाई से दोस्ती करके भाई को फोन किया करता था । बीच–बीच में भाई के न होने पर मुझसे भी बात किया करता था। जितेन्द्र, मेरे भाई के साथ कभी–कभी मेरे घर पर भी आया करता था । एक दिन दिनांक–30 जून 2015 दिन मंगलवार, जब वह घर पर अकेली थी तो वह मेरे भाई को पूछने आया, मैने कहा कि भाई घर पर नहीं है तो वह टी0बी0 देखने बैठ गया । मैं दूसरे कमरे में चली गयी और अपना बस्ता लेकर पढ़ने बैठ गयी । वह पीछे से आकर मेरे साथ छेड़खानी करने लगा । जब मैं चिल्लायी तो उसने मेरे मुंह पर कपड़ा बांध दिया और गला दबाने लगा कि चुपचाप लेट जाओं नहीं तो जान से मार दूंगा, फिर उसने मेरे साथ गन्दा काम किया और बोला कि किसी को मत बताना नहीं तो बदनाम कर दूंगा । मैने डर के मारे किसी को नहीं बताया , इसके बाद बार–बार फोन करके मुझे धमकी देता कि तुम्हारा भण्डा फोड़ दूंगा नहीं तो मेरे घर चुपचाप चली आओं । मैं डर के मारे दिनांक–09 जुलाई 2015 को अपनी सहेली हकीमुननिशां को लेकर इसके कमरे पर गयी, इसने हकीमुननिशां को वापस भेज

दिया और मुझे रोक लिया और फिर उसने गन्दा काम किया । इसके बाद उसने मुझे दो तीन बार घर पर बुलाया, तब मैं अपने भाई को लेकर गयी, जिसको किसी बहाने से या डांटकर भगा देता था और मुझे रोककर गन्दा काम किया करता था । बाद मे बोला भाई को मत लाना, अकेली आना तब मैं अकेली एक बार गयी, इसने फिर गन्दा काम किया और बाद में कहने लगा कि तुम्हे मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो बदनाम कर दूंगा। तब मैने अपनी मां श्रीमती सुमन सिंह को दिनांक—15 नवम्बर 2015 को पूरी बात बताई । तब मेरी मम्मी ने मेरे अंकल श्री सुरेन्द्र कुमार प्रजापति, जो कि रानी पेट, तमिलनाडु में रहते हैं, उनको दिनांक—16 नवम्बर 2015 को फोन पर पूरी बात बताई । तब अंकल ने थाने पर शिकायत करने के लिए बोला, लेकिन मां बदनामी के डर से नहीं जा सकी, यह मुझे बारबार फोन करके धमकी देने लगा कि तुम चली आओं, पर मैं नहीं गई, तब यह मुझे जान से मारने की धमकी देने पर उतारू हो गया । अन्ततः मैने इसका फोन रिसीब करना बन्द कर दिया । फिर नये साल में इसने मुझे फोन करके मुबारकबाद दी और बोला कि अब तुम बदनामी से नहीं बच सकती । मैं तुम्हे बदनाम करके ही छोडूंगा, नहीं तो फौरन मेरे घर आ जाओं , तब मैने फोन काट दिया और इसके घर नहीं गयी। यह जब भी कही मिलता है तो मुझे छेड़ता है और कहता है कि थाने पर शिकायत की तो जान से मरवा दूंगा । अब इसको देखकर मुझे दहशत होती है और डर के मारे बदहवास हो जाती हूं । मैं यह शिकायत, अपने पूरे होशोहवास में अपनी ओर से अपनी मां श्रीमती सुमन सिंह एवं अंकल श्री सुरेन्द्र कुमार प्रजापति के साथ आकर आगे की कार्यवाही हेतु दे रही हूं ।

3— उपरोक्त तहरीर के आधार पर, थाना कमरौली में, जितेन्द्र के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या—66/2018 कायम हुआ । उक्त प्रकरण में अभियुक्त जितेन्द्र कुमार झा को किशोर न्याय परिषद द्वारा बाल अपचारी पाया गया । तत्पश्चात उसके द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत किये गये जमानत आवेदन पत्र को आक्षेपित, आदेश के द्वारा, किशोर न्याय परिषद ने निरस्त कर दिया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है ।

4— मैने प्रार्थी/किशोर अपचारी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया ।

5— बाल अपचारी जितेन्द्र कुमार झा की ओर से दाण्डिक याचिका में यह आधार लिया गया है कि मुकदमा उपरोक्त में, अपीलार्थी जितेन्द्र कुमार झा को किशोर अपचारी घोषित किया जा चुका है । प्रार्थी/ अपचारी जितेन्द्र कुमार झा का सगा बड़ा भाई है । उपरोक्त मुकदमें को, सुरेन्द्र कुमार प्रजापति द्वारा , प्रार्थी की रंजिशवश, तथाकथित पीड़िता को हमवार करके तथा थाना स्थानीय की पुलिस को मिलाकर, फर्जी व झूठें आधारों पर पंजीकृत कराया गया है । सुरेन्द्र कुमार प्रजापति, प्रार्थी के साथ बी0एच0ई0एल0 जगदीशपुर में कार्यरत थे तथा प्रार्थी की पैतृक जमीन, जो अयोध्या—फैजाबाद में स्थित है,

को दबाव बनाकर सस्ते दाम पर खरीदना चाहते थे और जमीन न देने पर फर्जी मुकदमें में फंसाने की धमकी भी दिया करते थे । प्रार्थी ने, सन्तोष कुमार प्रजापति की धमकी से उबकर दिनांक—29—1—16 को अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से, महा—प्रबन्धक को एक शिकायती पत्र भेजा था, जिसके कारण एस0के0 प्रजापति ने प्रार्थी के भाई को उक्त मुकदमें में फंसा दिया । तथाकथित घटना दिनांक—30—6—2015 की कही जा रही है, किन्तु दिनांक—30—6—15 से फरवरी 2016 तक कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं दर्ज करायी गयी है जब प्रार्थी ने दिनांक—29—1—16 को एस0के प्रजापति के विरूद्ध विभागीय शिकायत की तो अपने द्वारा दिए जा रहे धमकी को उपरोक्त एस0के0 प्रजापति ने यह कुचक्र रचकर प्रार्थी के भाई के विरूद्ध यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दिया । कथित घटना के समय अपचारी जितेन्द्र कुमार को एक कमरे में टी0बी0 देखना तथा पीड़िता को दूसरे कमरे में पढ़ना बताया जा रहा है कि कथित घटना में टी0बी0 तथा बेड एक ही कमरे में है तथा दूसरा नक्शा भी दाखिल है, जो आपस में भ्रामक है । तथाकथित पीड़िता द्वारा अपने बयान में यह दर्शाया गया है कि वह कक्षा 8 तक पढ़ी है, जबकि उसके द्वारा प्रस्तुत वर्ष—2013—14 की मार्कशीट में वह कक्षा 02 की छात्रा रही है, अतः वर्ष 2015 में वह कक्षा आठ तक नहीं पढ़ सकती । उपरोक्त तथ्यों के आधार पर घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। कथित घटना की तिथि दिनांक—30—6—15 के समय, तथाकथित पीड़िता के भाई हरिओम को स्कूल जाना बताया गया है, जबकि दिनांक—30—6—15 को सम्पूर्ण प्रदेश के विद्यालय ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण बन्द रहते हैं, जिससे घटना संदिग्ध प्रतीत होती है । प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते समय तथाकथित पीड़िता की मां ने पुलिस के समक्ष बयान में घटना को लगभग एक माह पूर्व की बताया तथा पुनः लगभग 20 दिन की घटना कहकर विरोधाभासी बयान दिया है । पीड़िता द्वारा अपने बयान में कहा गया है कि तीस तारीख मंगलवार किन्तु समय नहीं मालूम है । तथाकथित घटना की साक्षी कुमारी हकीमुलनिशां का पहले फर्जी बयान पुलिस द्वारा अंकित किया गया । जब हकीमुलनिशां और उसके परिजनों को पता चला कि उसकी बेटी को फर्जी व झूठा गवाह बनाया जा रहा है तो हकीमुननिशां व ताजमुननिशां ने दिनांक—10—2—16 को पुलिस अधीक्षक अमेठी के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना बयान दिये । इसी क्रम में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ लखनऊ के आदेश के अनुक्रम में हकीमुननिशां के बयान की रिकार्डिग करके, सी0डी0 कैसेट भी बनाया गया है तथा हकीमुननिशां का वास्तविक बयान पर्चा नं0 10 पर अंकित किया गया जो विरोधाभासी होने के कारण घटना पर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न करता है । इसी क्रम में हकीमुननिशां की मां ताजमुननिंशा का भी बयान अंकित किया गया है । घटना के सभी स्वतंत्र साक्षी महेन्द्र कुमार मिश्रा, अनिल चौधरी व कमलेश कुमार अवस्थी आदि ने अपना बयान भी जरिए शपथ पत्र व विवेचनाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर दर्ज कराया है। प्रार्थी का भाई अपचारी, पढ़ने लिखने वाला छात्र है । उसने बराबर कक्षा 1 से लेकर बी0एस0 सी0 द्वितीय वर्ष तक प्रथम श्रेणी उत्तीण किया है तथा स्काउट गाइड व खेल

प्रतियोगिता में भी भाग लेता रहता है । उसके सम्प्रेक्षण गृह में निरूद्ध होने पर पढ़ाई व भविष्य खराब होने की पूर्ण आशंका है । वृद्ध माता पिता है , गम्भीर बीमारी से पीड़ित है , उनकी देख– रेख व पढ़ाई लिखाई करता व घर पर रहता है । प्रार्थी के भाई द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ लखनऊ में रिट याचिका संख्या– 5140/16 प्रस्तुत किया गया है, जिसमे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ लखनऊ द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवायी, लाल कमलेन्द्र प्रताप बनाम राज्य उ0प्र0 व अमरावती व अन्य बनाम राज्य उ0प्र0 में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार शीघ्र किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है । प्रार्थी के भाई अपचारी के जमानत पर रिहा होने पर प्रार्थी उसे अपने संरक्षण में रखेगा तथा उसे किसी ज्ञात अज्ञात गिरोह में नहीं सम्मिलित होने देगा । प्रार्थी की यह प्रथम अपील है, इसके अलावा अन्य कोई अपील, किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ लखनऊ में न तो दिया गया है और न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त किया गया है । प्रार्थी/अपीलाथी का कोई दोष सिद्ध आपराधिक इतिहास नहीं है । प्रार्थी के भाई अपचारी के जमानत पर रिहा होने पर वह जमानत मुचलका दाखिल करने को तैयार है । प्रार्थी के भाई अपचारी को प्रार्थी के संरक्षण में जमानत मुचलके पर रिहा किया जाय ।

6– विपक्षी उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों–केस डायरी व इन्जरी रिपोर्ट आदि का अवलोकन करने के पश्चात, प्रश्नगत आदेश कानूनन सही वाक्यात पर पारित किया गया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश वावत खारिजा जमानत पारित करने में कोई इल्लीगैलटी एवं इररैगुलैरटी नहीं किया है । अपीलाण्ट की अपील आधारहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है ।

7– बाल अपचारी की ओर से, उसके संरक्षक भाई के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत दाण्डिक अपील मे वर्णित उपर्युक्त आधारों को ही मुख्यतया तर्क के रूप में प्रस्तुत कर, दाण्डिक अपील को स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है ।

अभियोजन पक्ष के तर्क के अनुसार किशोर न्याय परिषद द्वारा पारित आदेशों में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं है । किशोर अपचारी 16 से 18 वर्ष की विशेष आयु वर्ग से सम्बंधित है तथा उसके द्वारा गम्भीर अपराध कारित किया गया है, अतः प्रश्नगत दाण्डिक अपील निरस्त होने योग्य है ।

8– किशोर न्याय परिषद की तलबशुदा पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि परिषद द्वारा अपने आदेश दिनांकित–11–7–2017 के माध्यम से प्रार्थी किशोर को ''विधि का उल्लधन करने वाला किशोर अपचारी'' घोषित किया गया है तथा घटना की तिथि पर किशोर की आयु 16 वर्ष 04 माह 15 दिन अवधारित की गयी है । उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण से सम्बंधित कथित घटना, नवीन किशोर न्याय (बालको की देख–

रेख एवं संरक्षण) अधिनियम —2015 के प्रवृत्त होने के पूर्व की है । अतः प्रश्नगत प्रकरण उक्त नवीन अधिनियम की धारा 14(च) (ii) व धारा—15 से आच्छादित नहीं है तथा किशोर न्याय (बालको की देख— रेख एवं संरक्षण) अधिनियम—2000 की धारा—12 के प्रावधान पूर्ववत लागू होंगे ।

9— धारा 12 The Juvenile Justice (Care and Protection Of Children) Act,2000 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि निम्नलिखित दशाओं में ही किशोर अपचारी की जमानत को अस्वीकार किया जायेगा—

क— किशोर अपराचारी को जमानत पर छोड़ा जाना ज्ञात अपराधियों के संगत में आने की सम्भावना प्रकट करता हो। या

ख— जिससे उसे नैतिक शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक खतरों की सम्भावना हो। या

ग— जमानत से न्याय का उद्देश्य विफल हो रहा हो।

10— उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि किशोर अपचारी के जमानत आवेदन को अपराध की गम्भीरता के आधार पर, निरस्त किया जाना विधिपूर्ण नही है, अपितु उपरोक्त उल्लिखित तथ्यों के विद्यमान होने पर ही उसकी जमानत की याचना को अस्वीकार किया जायेगा ।

11— हस्तगत प्रकरण में किशोर न्याय परिषद द्वारा अपीलाथी को '' विधि का उल्लघन करने वाला किशोर अपचारी'' घोषित करते हुए घटना की तिथि पर उसकी आयु 16 वर्ष 04 माह 15 दिन अवधारित की गयी है । केसः— अन्तर्गत धारा—482,378,407, नं0—5140/2016 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांकित—15—11—2017 के प्राप्त होने पर, किशोर न्याय परिषद द्वारा, किशोर अपचारी को अपने आदेश दिनांक—05—12—2017 द्वारा अन्तरिम जमानत पर रिहा किया गया तथा पुनः अपने आदेश दिनांक—04—01—2018 द्वारा किशोर अपचारी के नियमित जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया । तत्पश्चात, जब उक्त आदेश दिनांकित—04—01—2018 के विरूद्ध प्रश्नगत अपील संस्थित की गयी, तब प्रकरण की तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रभारी सत्र न्यायाधीश द्वारा भी अपने आदेश दिनांक—04—01—2018 के माध्यम से किशोर अपचारी को अन्तरिम जमानत पर रिहा करते हुए, प्रश्नगत दाण्डिक अपील की सुनवाई हेतु तिथि नियत की गयी । किशोर द्वारा अन्तरिम जमानत के दुरूपयोग का कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है ।

12— किशेर न्याय परिषद की तलब शुदा पत्रावली में जिला प्रोवेशन अधिकारी की आख्या उपलब्ध है। यद्यपि जिला प्रोवेशन अधिकारी की आख्या में किशोर में अनुशासन की कमी होना कहा गया है, तथापि उक्त आख्या में किशोर एवं किशोर के अन्य परिवारीजन— यथा—माता—पिता व भाई—बहन का शिक्षित होना तथा सामाजिक आदतों व आचारण को सामान्य बताया गया है। उक्त आख्या में परिवार के अन्य सदस्यों की अपचारिता का तथ्य भी संज्ञान में न आना उल्लिखित है । किशोर की आदतों को नैतिक

बताते हुए उसे गृहकार्य व मनोरंजन का शौक होना दर्शित है तथा उक्त आख्या के अनुसार किशोर पर उसके किसी साथी का भी कोई प्रभाव नहीं है एवं पड़ोसियों द्वारा भी किशोर के आचरण व व्यवहार को सामान्य बताया गया है ।

इस प्रकार उक्त आख्या में किसी ऐसी असामान्य परिस्थिति का उल्लेख नहीं है, जिससे अधिनियम की धारा–12 में प्रावधानित तीनो तत्वो/परिस्थितियों में कोई तत्व आकर्षित होता हो । यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में अन्तरिम जमानत पर रिहा होने के पश्चात से किशोर अपचारी की किसी घटना में संलिप्तता सम्बंधी कोई तथ्य भी प्रकाश में नहीं आया है । किशोर अपचारी के संरक्षक द्वारा उसे उचित संरक्षण में रखने सम्बन्धी सशपथ कथन भी किया गया है ।

अतः प्रश्नगत प्रकरण की विशिष्ट तथ्य एवं परिस्थितियों तथा सुसंगत उपबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए हस्तगत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत दाण्डिक अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान किशोर न्याय–परिषद द्वारा अपराध संख्या–66/2016, धारा–376,506 भा0दं0सं0 एवं धारा–4 पाक्सों ऐक्ट थाना–कमरौली, जिला–अमेठी, के प्रकरण में दिनांक–04–01–2018 को पारित जमानत निरस्तीकरण आदेश, खण्डित किया जाता है । बाल अपचारी जितेन्द्र कुमार झा को उसके संरक्षक की सुपुर्दगी में, मु0 100000/–रूपये के व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि की दो जमानते तथा इस आशय की एक अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर कि वह बाल अपचारी को अपने प्रभावी नियंत्रण में रखेगा तथा पुनः किसी अपराध में संलिप्त नही होने देगा, दिया जाता है । किशोर न्याय परिषद की तलब शुदा पत्रावली अग्रेतर कार्यवाही हेतु अविलम्ब वापस प्रेषित की जाय ।

SD/-

(पी.एन.त्रिपाठी)

<u>दिनांक–23.07.2018</u>

अपर सत्र न्यायाधीश,/एफ.टी.सी.–प्रथम,
सुलतानपुर।

आज निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षंरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

SD/-

(पी.एन.त्रिपाठी)

<u>दिनांक–23.07.2018</u>

अपर सत्र न्यायाधीश,/एफ.टी.सी.–प्रथम,
सुलतानपुर।